न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

ब ईजलास - **के.आर. खोड़** आर ए एस

श्रीमति कान्ता बेवा गटूलाल मीणा उम्र 50 साल निवासी चीखली फला सरमी वार्ड नं. 1 तहसील चीखली जिला डूँगरपुर (राज.) -- वादीया

बनाम

1. श्री मोतीया पिता धनजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री गोरजी पिता धनजी मीणा उम्र बालिग
3. श्री नानजी पिता धनजी मीणा उम्र बालिग निवासीयान साकोदरा फला झोपादलपुरा रातीतलाई तहसील चीखली जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार चीखली तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.) -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 52/209 रा.टी.एक्ट 136 ले.रे.एक्ट

प्रकरण संख्या 26/2017 रेवेन्यु

दावा बाबत हस्ब दफा 53/209 रा.टी.एक्ट

उपस्थित - श्री अल्लाहनूर मन्सूरी - वकील वादीया

प्रतिवादी नं. 1 से 3 - एकपक्षीय

पेरोकार सरकार - प्रतिवादी नं. 4 की ओर से

निर्णय (अंतिम डिक्री)

वादीया द्वारा मोजा चीखली में स्थित वादीया एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की आराजी जिसमें वादीया का 2/5, प्रतिवादी नं. 1 से 3 का 3/5 हिस्सा दर्ज रेकर्ड होने से मोजा चीखली में संयुक्त खाता संख्या 63/205 के खसरा नं. 44 रकबा 7-11 सात बीघा ग्यारह बिस्वा चा. ।। लगानी 1-52 में से बटवारा स्कीम के तहत रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित की जाने आराजीयात स्थित है का वाद प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर बटवारा स्कीम मंगवाए जाने आदेश दिया गया था ।

कि न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने के पश्चात् तहसीलदार चीखली द्वारा बटवारा स्कीम बनाई जाकर वादीया के हिस्से में खसरा नं. 44/1 रकबा 2-18 बीघा राकड लगानी 0-09 एवं प्रतिवादीगण गोरजी, नानजी, मोतीया पिसरान धनजी के हिस्से में खसरा नं. 44 रकबा 4-09 राकड ।। लगानी 0-14 आने एवं खसरा नं. 44/2 रकबा 0-04 राकड ।। लगानी 0-001 संयुक्त रखी जाकर बटवारा स्कीम प्राप्त हुई है।

अतः प्रारंभिक डिक्री के आधार पर आई बटवारा स्कीम के तहत प्राप्त प.ह. की रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझने से अन्तिम डिक्री पारित की जाती है ।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीया अन्तिम डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा चीखली तहसील चीखली जिला डूँगरपुर (राज.) में स्थित संवत 2071 से 74 के खाता नं.63/205 के खसरा नं. 44 रकबा 7-11 रा. ।। लगानी 1-51 स्थित है का रिकार्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच बटवारा स्कीम प्राप्त हुंई है तहसीलदार चीखली को अन्तिम डिक्री जारी कर आदेशित किया जाता है कि तहसीलदार चीखली द्वारा मौके पर बटवारा कर बटवारा स्कीम भिजवाई

Scanned with CamScanner

जाने से खसरा संख्या 44/1 रकबा 2-18 किस्म राकड ।। लगानी 0-09 वादीया एवं खसरा संख्या 44 रकबा 4-09 राकड ।। लगानी 0-14 प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 के हिस्से में आकर खसरा संख्या 44/2 रकबा 0-04 बीघा राकड ।। लगानी 0-001 की बटवारा स्कीम के तहत आने से स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार सीमलवाडा को लिखा जावे कि उपरोक्तानुसार रेवेन्यु रिकार्ड में वादीया एवं प्रतिवादी के हिस्से में आई आराजी को अंकित करते हुए अलग अलग खाते कायम करें । निर्णयानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे । पत्रावली वास्ते पालना अन्तिम डिक्री के दिनांक 27/02 /2020 को पेश होवे ।

अन्तिम डिक्री आज दिनांक 06/02/2020 को सुनाया गया ।

(के. आर. खोड)
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

उप खण्ड अधिकारी
सीमलवाडा डूंगरपुर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर (राज.)

ब इजलास - के. आर. खोड़ आर ए एस

श्रीमति कान्ता बेवा गटूलाल मीणा उम्र 50 साल निवासी चीखली फला सरमी वार्ड नं. 1 तहसील चीखली जिला डूँगरपुर (राज.)

-- वादीया

बनाम

1. श्री मोतीया पिता धनजी मीणा उम्र बालिग
2. श्री गोरजी पिता धनजी मीणा उम्र बालिग
3. श्री नानजी पिता धनजी मीणा उम्र बालिग निवासीयान साकोदरा फला झोपादलपुरा रातीतलाई तहसील चीखली जिला डूँगरपुर (राज.)
4. श्री लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार चीखली तहसील व जिला डूँगरपुर (राज.) -- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 52/209 रा.टी.एक्ट 136 ले.रे.एक्ट

प्रकरण संख्या 26/2017 रेवेन्यु

न्यायालय द्वारा प्राइमरी डिक्री बटवारा स्कीम जारी किये जाने से तहसीलदार चीखली द्वारा बटवारा स्कीम के तहत मौके पर बटवारा किये जाकर बटवारा स्कीम प्राप्त हुई है उसके अनुसार अन्तिम डिक्री निम्नानुसार रेवेन्यु रिकार्ड में पालनार्थ जारी की जाती है ।

वादीया श्रीमति कान्ता एवं प्रतिवादीगण मोतीया, गोरजी, नानजी पिसरान धनजी मीणा के नाम से मोजा चीखली में संयुक्त खाता संख्या 63/205 के खसरा नं. 44 रकबा 7-11 सात बीघा ग्यारह बिस्वा चा. ।। लगानी 1-52 में से बटवारा स्कीम के तहत रेवेन्यु रिकार्ड में अंकित की जाने आराजीयात -

वादीया श्रीमति कान्ता बेवा गटूलाल मीणा उम्र 50 साल निवासी चीखली जिला डूँगरपुर (राज.) के खाते में

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
44/1	2-18 बीघा (0.4696)	राकड ।।	0-09
कुल खसरा - 1	कुल क्षेत्रफल 2-18 बीघा		

प्रतिवादीगण नं. 1 गोरजी पिता धनजी 1/3, (2) नानजी पिता धनजी 1/3 रहन भू.वि.बैंक डूँगरपुर, (3) मोतीया पिता धनजी 1/3 जाति मीणा निवासी चीखली के खाते मे

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
44	4-09 बीघा(07206)	रा. ।।	0-14
कुल खसरा - 1	कुल क्षेत्रफल 4-09		0-14

वादीया (1) श्रीमति कान्ता 2/5, एवं प्रतिवादीगण (2) गोरजी 1/5, , (3) नानजी 1/5 , (4) मोतीया 1/5 ,पिसरान धनजी के संयुक्त खाते में

खसरा संख्या	रकबा	किस्म	लगान
44/2	0-04 बीघा(0-0314)	राकड ।।	0-001
कुल खसरा - 1	कुल क्षेत्रफल 0-04		0-001

उपरोक्तानुसार रेवेन्यु रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने आदेश तहसीलदार चीखली के नाम जारी किये जाते है । बाद अमल दरामद तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली फैसल शुमार की जावे ।

दिनांक 06/01/2020

डूँगरपुर (राज.)

(के.आर. खोड़)

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.05 14:37:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: